<u>अनुस्मारक</u>

सं.ई-12018/3/2012-हिन्दी
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
डा. आर. पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 07.11.2012

परिपत्र

विषयः मंत्रालय की हिन्दी पत्रिका "कारपोरेट प्रवाहिनी" के सातवें अंक का प्रकाशन।

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05.10.2012 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें पत्रिका के सातवें अंक हेतु इच्छुक रचनाकारों से रचनाएं आमंत्रित की गई थीं। किन्तु, अभी तक पर्याप्त मात्रा में रचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः, कृपया पत्रिका में शामिल करने हेतु अपनी रचनाएं इस परिपत्र के जारी होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर हिन्दी अनुभाग, कमरा संख्या-509ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में स्वच्छ मुद्रित/टंकित प्रति में प्रेषित करें। प्रकाशन हेतु निबंधन एवं शर्तें मूल परिपत्र के अनुसार ही होंगी।

ह/-
(क्षितिश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
2. मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
3. ई-गवर्नेंस सेल को मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संख्या ई-12018/3/2008-हिंदी

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(हिंदी अनुभाग)

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001, दिनांक- 8-02-2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-मंत्रालय की गृह पत्रिका "कारपोरेट प्रवाहिनी" में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय।

"कारपोरेट प्रवाहिनी", कारपोरेट कार्य मंत्रालय की गृह पत्रिका है जिसका प्रकाशन अर्ध-वार्षिक आधार पर जनवरी एवं जुलाई में किया जाता है। पत्रिका के पंचम अंक का प्रकाशन किया जाता है।

इस संदर्भ में दिनांक 29.11.2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. कर संदर्भ लें जिसके द्वारा हिंदी में मौलिक रचनाएं दिनांक 15.12.2010 तक आमंत्रित की गई थीं। उक्त तिथि को एतदद्वारा बढ़ाकर 15.02.2011 किया जाता है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों, कविताओं आदि के लिए निम्नवत् मानदेय भी निर्धारित किए गए हैः

विवरण	मानदेय की दरें
लेख, कहानी, नाटक, एकांकी	1000/- रुपये
कविता	300/- से 600 रूपये तक
पुस्तक समीक्षा	300/- से 400 रूपये तक

ह/-

(जितेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389782

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय स्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
2. मंत्रालय के सभी संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।

संख्या-ई.12018/3/2012-हिन्दी

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,

डा. आर. पी. रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: .2012

परिपत्र

विषय: मंत्रालय की हिन्दी पत्रिका "कारपोरेट प्रवाहिनी" के सातवें अंक का प्रकाशन।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अर्ध-वार्षिक पत्रिका "कारपोरेट प्रवाहिनी" के सातवें अंक का प्रकाशन किया जाना है। अतः मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आम लोगों से अनुरोध है कि वे राजभाषा हिन्दी में अपनी मौलिक रचनाएं जैसे, कविताएं, लेख, निबंध, कहानी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए आधुनिक एवं अग्रगामी कार्यकलापों से संबंधित अपने बहुमूल्य विचार/लेख हिन्दी अनुभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में भिजवाने की कृपा करें ताकि उसे पत्रिका के सातवें अंक में शामिल किया जा सके।

2. भारत का कोई भी नागरिक प्रकाशन हेतु सामग्री दे सकता है। उच्च कोटि की मूल सामग्री का स्वागत किया जाएगा। पूर्व में प्रकाशित उच्च कोटि की सामग्री का भी साभार प्रकाशन किया जा सकता है। प्रकाशनार्थ सामग्री देने वाले व्यक्ति को ऐसी सामग्री का स्रोत बताना होगा।

3. प्रकाशित सामग्री के लिए रचनाकर्ता/योगदानकर्ता को दिनांक 08.02.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई-12018/3/2008-हिन्दी में दिए गए दर के अनुसार उचित रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा।

4. प्रकाशनार्थ रचनाएं दिनांक 19 अक्तूबर, 2012 तक हिन्दी अनुभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या-509 ए, 5वां तल, ए विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में लिखित रूप में भेज दें ताकि उसे पत्रिका में शामिल किया जा सके। रचनाकर्ता रचना के साथ अपना नाम, पता, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखा का नाम तथा कोड साथ ही अपने खाते का आईएफएससी कोड भी दें।

ह/-

(रीता सूद)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी अनुभाग।
2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रादेशिक निदेशक/शासकीय समापक/कंपनी रजिस्ट्रार।
3. प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली।
4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली।
5. कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली
6. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, नई दिल्ली।
7. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, मनेसर, गुड़गांव।
8. वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
9. ई-गर्वनेंस सेल को मंत्रालय की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर अपलोड करने हेतु।